कार्यालय, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248001

ई–मेल: ayushmanuttarakhand@gmail.com

पत्रांक: अ0आ0उ0यो0 / 2019–20 / 195 दिनांक: 25 मई 2019

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय प्रिया हॉस्पिटल, लक्सर रोड, धनपुरा, हरिद्वार के अनुबंध को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में आदेश

1– प्रिया हॉस्पिटल, लक्सर रोड, धनपुरा, हरिद्वार द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत सूचीबद्व करने हेतु योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि डा0 जार्ज सैमुअल प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार में एकमात्र उपलब्ध चिकित्सक हैं। अतः प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार में डा0 जार्ज सैमुअल, को सूचीबद्ध कराये जाने हेतु आवेदन पत्र में Round the Clock चिकित्सक उपलब्ध होने का उल्लेख है।

2– प्रिया हॉस्पिटल, लक्सर रोड, धनपुरा, हरिद्वार एक निजी व्यवसायिक संस्था है, जिसके द्वारा लाभ अर्जित करने के लिये अस्पताल स्थापित किया गया है। इसके संचालक श्री सनी दत्त सैनी हैं। सूचीबद्ध कराये जाने हेतु दिये गये आवेदन पत्र के अनुसार प्रिया हॉस्पिटल, लक्सर रोड, धनपुरा, हरिद्वार में डा0 जार्ज सैमुअल के अतिरिक्त अन्य कोई चिकित्सक कार्यरत नही है।

3– प्रिया हॉस्पिटल, लक्सर रोड, धनपुरा, हरिद्वार द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किये जाने के प्रस्ताव को राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) द्वारा स्वीकार किया गया तथा प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार को योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया गया। प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार के साथ राज्य स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2019, को अनुबन्ध किया गया। प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार 15 Bedded अस्पताल है तथा इसे M2 Speciality के लिये योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया गया।

4– इस प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि डा0 जार्ज सैमुअल दिनांक 27.10.2018 से 7.3.2019 तक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढण्डेरा में तथा दिनांक 14.3.2019 से वर्तमान समय तक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायसी जनपद हरिद्वार में संविदा के आधार पर पूर्णकालिक एलोपैथिक चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं।

5– उक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि जहाँ एक ओर डा0 जार्ज सैमुअल अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढण्डेरा / रायसी (जो राजकीय केन्द्र हैं), में पूर्णकालिक चिकित्सक के रूप में दिनांक 27.10.2018 से वर्तमान तक कार्यरत हैं, वहीं दूसरी ओर वे प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार (जो एक निजी अस्पताल है तथा जिसमें वे एक मात्र चिकित्सक हैं) में Round the Clock चिकित्सक के रूप में विद्यमान है, जैसा कि प्रिया हॉस्पिटल द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध कराये जाने हेतु आवेदन पत्र से स्पष्ट है।

6– चूंकि डा0 जार्ज सैमुअल अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढण्डेरा / रायसी में पूर्णकालिक रूप से तैनात रहे / हैं, अतः यह स्पष्ट है कि वे दूसरे निजी अस्पताल (जिसमें वे एक मात्र उपलब्ध चिकित्सक हैं) में Round the Clock चिकित्सक के रूप में उपलब्ध नही हो सकते हैं।

7– चूँकि प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार द्वारा जानबूझ कर गलत इरादे से योजना के अन्तर्गत अवैधानिक लाभ प्राप्त करने हेतु चिकित्सालय को सूचीबद्ध कराने हेतु दिये गये प्रस्ताव में मिथ्या/झूठा कथन किया गया हैं, अतः यह धोखाधडी (Fraud) की श्रेणी में आता है। अतः राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) द्वारा उनके प्रस्ताव पर दी गयी स्वीकृति भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) के अनुसार Free Consent नहीं है तथा प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार के साथ किया गया अनुबन्ध SHA के विकल्प (Option) पर शून्य (Void) है।

8– प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार द्वारा योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किये जाने हेतु जो प्रस्ताव दिया गया है, वह प्रस्ताव एक असम्भव कार्य को करने का प्रस्ताव है क्योंकि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढंडेरा/रायसी, हरिद्वार में पूर्णकालिक चिकित्सक के रूप में कार्य करते हुए डा0 जार्ज सैमुअल की प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार में Round the Clock उपलब्धता सम्भव नहीं है। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के अनुसार "असम्भव कार्य करने का अनुबन्ध" शून्य (Void) होने के कारण प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार द्वारा जो भी क्लेम की धनराशि SHA से प्राप्त की गयी है, उसकी वसूली करने का अधिनियम के प्राविधानों अनुसार SHA को अधिकार है।

9– भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के प्रासंगिक प्रविधानो का विवरण निम्न प्रकार हैं–

17. "fraud defined

"Fraud" means and includes any of the following acts committed by a party to a contract, or with his connivance, or by his agents, with intent to deceive another party thereto or his agent, to induce him to enter into the contract;

(1) the suggestion as a fact, of that which is not true, by one who does not believe it to be true;

(2) the active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact;

(3) a promise made without any intention of performing it;

(4) any other act fitted to deceive;

(5) any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent.

19. Voidability of agreements without free consent

"When consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused............"

56. Agreement to do impossible act

"An agreement to do an act impossible in itself is void......... "

65. Obligation of person who has received advantage under void agreement, or contract that becomes void

"When an agreement is discovered to be void, or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it, or to make compensation for it, to the person from whom he received it."

10. भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 17 के अनुसार प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार द्वारा धोखाधड़ी (Fraud) का कृत्य किया गया है। अतः अधिनियम की धारा 19 के अनुसार प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार द्वारा सूचीबद्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर SHA द्वारा प्रदान की गयी

स्वीकृति बिना "Free Consent" के है तथा यह धोखाधड़ी पर आधारित है। परिणाम स्वरूप, प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार का सूचीबद्धता के सम्बन्ध में अनुबन्ध अधिनियम की धारा 19 के अनुसार SHA के विकल्प (Option) पर शून्य (Void) है।

11. प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार द्वारा ऐसे कार्य को करने का प्रस्ताव दिया गया और तत्पश्चात अनुबन्ध किया गया जो कि असम्भव है। (अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढंडेरा/रायसी में संविदा पर पूर्णकालिक एलोपैथिक चिकित्सक होने के कारण डा0 जार्ज सैमुअल का प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार में Round the Clock उपलब्ध रहना असम्भव कार्य है)। अतः भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 56 के अनुसार प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार के साथ किया गया अनुबन्ध प्रारम्भ से ही शून्य (ab initio void) है। ऐसी दशा में भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 65 के अनुसार प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार द्वारा SHA से प्राप्त की गयी क्लेम की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली SHA द्वारा की जानी चाहिए।

12. चूँकि प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार द्वारा भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 17 के अन्तर्गत धोखाधड़ी का कार्य (Fraud) किया गया है तथा धारा 56 के अन्तर्गत असम्भव कार्य करने का अनुबन्ध किया गया है, अतः प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार की सूचीबद्धता का अनुबन्ध शून्य (Void) है, और अधिनियम की धारा 65 के अनुसार प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार से भुगतान की गयी क्लेम की सम्पूर्ण धनराशि वसूली योग्य है।

13. भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 66 में अनुबन्ध को निरस्त किये जाने तथा उसकी सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में प्रकिया दी गयी हैं जो निम्न प्रकार है–

66. Mode of communicating or revoking rescission of voidable contract

" The rescission of a voidable contract may be communicated or revoked in the same manner, and subject to same rules, as apply to the communication or revocation of the proposal."

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम,1872 की धारा 4 के अन्तर्गत प्रस्ताव (Proposal) को सूचित किये जाने (Communication) तथा प्रस्ताव को निरस्त किये जाने (Revocation) के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी हुई हैः–

4. Communication when complete

"The communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. ....The communication of a revocation is complete, as against the person to whom it is made, when it comes to his knowledge."

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 6 में भी प्रस्ताव (Proposal) को निरस्त (Revocation) करने के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान दिये गये हैः–

6. Revocation how made

"A proposal is revoked -

(1) by the communication of notice of revocation by the proposer to the other party;

.... "

14. अतः प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार से किया गया अनुबन्ध निरस्त करते हुए अधिनियम की धारा 66 सपढित धारा 4 एवं धारा 6 के अनुसार प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार को तद्नुसार सूचित कर दिया जाये।

आदेश

अतएव, प्रिया हॉस्पिटल, धनपुरा, लक्सर रोड, हरिद्वार द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्यं अभिकरण के साथ सूचीबद्धता हेतु किया गया अनुबंध दिनांक 31 जनवरी, 2019 निरस्त किया जाता है। प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार द्वारा प्राप्त की गयी क्लेम की धनराशि रू0 178200/– (एक लाख अठत्तर हजार दो सौ रुपये) को इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 7 दिन के अंदर राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को वापिस किया जाये। प्रिया हॉस्पिटल, हरिद्वार के लंबित क्लेम रू0 118800/– (एक लाख अठारह हजार आठ सौ रुपये) उन्हें देय नहीं होंगे तथा उनका भुगतान राज्य स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा नहीं किया जायेगा। इस आदेश को श्री सनी दत्त सैनी प्रबन्धक प्रिया हॉस्पिटल, धनपुरा, लक्सर रोड, हरिद्वार को ई–मेल से तथा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाये।

(युगल किशोर पंत)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण, नई दिल्ली।
2. राज्य समन्वयक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण, नई दिल्ली।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
5. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. Insurance Regulatory and Development Authority of India, Sy No. 115/1, Financial District, Manakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032 को इस अनुरोध के साथ कि वे सभी सम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. नोडल अधिकारी, आई0ई0सी0 को प्रिया हॉस्पिटल, धनपुरा, लक्सर रोड, हरिद्वार की सूचीबद्धता का अनुबन्ध समाप्त होने के सम्बन्ध में जन–साधारण को अवगत कराने हेतु मीडिया में प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
2. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तरांखण्ड।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
4. समस्त निदेशक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण।
5. राज्य समन्वयक, कियान्वयन सहायता एजेंसी, देहरादून।
6. आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना